फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

आवास फाईनेन्शियर्स बनाम श्रीमती रीसू व अन्य

प्रकरण संख्या : 757 / 2022 (प्रा॰ पत्र धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
05.12.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से प्रस्तुत सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 की धारा 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया । पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	4877-78 12-12-2022

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 757/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आवास फाईनेंशियर्स लि॰ (पूर्व नाम एयू हाउसिंग फाईनेन्स लि॰) पंजिकृत कार्यालय 201–202 फ्लोर साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती रीसू पत्नी श्री सोनू कुमार
   पता :– 22, तिरूपति विहार, माचडा, पंडित जी का चौराहा, हरमाडा, अखेपुरा, जिला जयपुर।
   एवं प्लाट नम्बर 37, स्कीम श्री लक्ष्मी नगर, ग्राम आकेडा डूंगर, जिला जयपुर।
2. श्री सोनू कुमार पुत्र श्री विनय कुमार
   पता :– 22 तिरूपति विहार, माचडा, पंडित जी का चौराहा, हरमाडा, अखेपुरा, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002

उपस्थित :–

1. श्री चन्द्र शेखर बेनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश   दिनांकः 05.12.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 20.08.2021 को पुर्नभुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती रीसू पत्नी श्री सोनू कुमार के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नम्बर 37, स्कीम श्री लक्ष्मी नगर, ग्राम आकेडा डूंगर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 58.33 वर्गगज को बन्धक रख कर राशि 04,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 07.09.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 17 जून 2021 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 04,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 02,76,354/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 07.09.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती रीसू पत्नी श्री सोनू कुमार के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नम्बर 37, स्कीम श्री लक्ष्मी नगर, ग्राम आकेड़ा डूंगर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 58.33 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 05.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) जिला जयपुर (राज.)

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर